

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 293/2011/चित्तौड़गढ़.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रूरल इंजिनियरिंग कम्पनी प्रा.लि., चित्तौड़गढ़.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 29/02/2016

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 45/वैट/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.07.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 / राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2009 को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की है।
2. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित हो कर, कर निर्धारण अधिकारी/राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिये अधिनियम की धारा 29 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2008 को पारित किया गया। अन्तर्राज्यीय बिक्री जो रेलवे को 'डी' फार्म से घोषित कर दर 4 प्रतिशत से कर जमा कराया गया, उसमें 'डी' फार्म रेलवे के उप मुख्य इंजीनियर ट्रेक सप्लाइ उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर द्वारा जारी किया गया है। ऑडिट आक्षेप के कारण अन्तर कर व ब्याज आरोपण किया गया।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर. के. अजमेरा ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना कि गयी।





लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश पर बल दिया तथा उसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. अभिलेख के परिशीलन पश्चात् तथ्यात्मक परिदृश्य निम्न प्रकार है-

(क) कर निर्धारण वर्ष 01.04.2005 से 31.03.2006 के लिये अधिनियम की धारा 29, 58, 61 व 68 में कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2008 को पारित किया गया। उक्त अवधि में घोषित कुल बिक्री 27,29,61,892/- है, जिसमें से राज्य में कर योग्य बिक्री 5,58,08,482/- तथा अन्तर्राज्यीय कर योग्य बिक्री 21,71,53,410/- है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 9 के अधीन कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2008 को पारित किया गया। केन्द्रीय अधिनियम में घोषित रेलवे स्लीपर की 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्री 83,25,9,224/- पर 33,30,369/- का कर निर्धारित किया गया।

(ख) कार्यालय महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा उनके पत्र ऑडिट वेरी 7 दिनांक 24.11.2008 में उक्त कर निर्धारण आदेश में यह आक्षेप किया गया की "व्यवहारी रेलवे स्लीपर का निर्माता एवं विक्रेता है। आलौच्य अवधि की जांच में पाया गया अन्तर्राज्यीय विक्रय 'डी' प्रपत्र पर राशि 8,32,59,224/- रूपये पर 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया।" प्रस्तुत 'डी' प्रपत्रों की समीक्षा में पाया गया की उक्त 'डी' प्रपत्र मैसर्स उप मुख्य इंजिनियर (ट्रेक सप्लाई) उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा जारी किये गये उक्त विक्रय को राज्य अन्तर्गत विक्रय के स्थान पर केन्द्रीय विक्रय मानते हुए कर आरोपित किया गया। राजकीय अधिसूचना एफ 4(14) एफडी/टैक्स डिवी./98-37/दिनांक 09.07.1998 के अनुसार केन्द्रीय विभागों को राज्य अन्तर्गत विक्रय पर 5 प्रतिशत से कर देय था। अतः विक्रय राशि 8,32,59,224/- रूपये पर 1 प्रतिशत से अन्तर कर राशि 8,32,592/- रूपये एवं धारा 58 के अन्तर्गत गणनानुसार 37 माह का ब्याज राशि 3,08,059/- रूपये कुल राशि 11,40,651/- रूपये विधिसम्मत कार्यवाही उपरान्त आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2005-06 सीएसटी के कर निर्धारण में 4 प्रतिशत कर निर्धारित किया जा चुका था।





लगातार.....3


(घ) ऑडिट आक्षेप के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 / वेट अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04.05.2009 के द्वारा 1 प्रतिशत से अन्तर कर 8,32,592/- व ब्याज राशि 4,24,628/- आरोपित की गयी।

(ङ) अपीलीय अधिकारी ने अन्तर्राज्यीय बिक्री होने के कारण अतिरिक्त कर का आदेश अधिनियम के अधीन पारित नहीं किया जा सकता है, के अवलोकन के आधार पर आरोपित अतिरिक्त कर को अपास्त किया।

9. यह निर्विवादित तथ्य है कि आक्षेपित बिक्री केन्द्रीय अधिनियम में निर्धारित (Assessed) की गई थी। अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर केन्द्रीय अधिनियम में ही निर्धारित (Assess) किया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने ऑडिट के प्रस्ताव पर अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जिसके आधार पर केन्द्रीय बिक्री कर घोषित की गई एवं केन्द्रीय अधिनियम में कर निर्धारण किया गया था। इस संबंध में नये सिरे से कोई परीक्षण नहीं किया गया, व्यवहारी द्वारा दिये गये जवाब के तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया तथा राज्य के भीतर बिक्री प्रमाणित नहीं की गई। ऑडिटर ने भी केवल 'डी' फार्म के बिन्दु पर आक्षेप लेकर प्रस्ताव कर दिया। ऑडिटर द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि विवादित 'डी' फार्म केन्द्रीय अधिनियम के तहत विहित 'डी' फार्म है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी ने पुनः बिक्री को केन्द्रीय अधिनियम में ही होने का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 से 112 तक उपलब्ध है। किसी भी बिक्री को कल्पना के आधार पर मान करके करारोपण नहीं किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्तर कर को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत आदेश होने के कारण पुष्ट किये जाने योग्य है, अतः उसकी पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


28.02.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य


28.2.2016
(मदन लाल)
सदस्य